संख्या-7/2022/I/181960/49-3-2022.

प्रेषक :

बी0 एल0 मीणा

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में

वित्त नियंत्रक,

सहकारिता उ0प्र0

लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक 24 जून 2022

विषय: आई.सी.सी.एम.आर.टी. की सदस्यता शुल्क हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की प्रथम किश्त के लिए वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-72/ लेखा-अ, दिनांक 08 जून, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईसीसीएमआरटी लखनऊ को देय वार्षिक सदस्यता शुल्क/ अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 25.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त प्राविधानित धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 12.50 लाख (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1) धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा।

2) धनराशि के व्यय के दौरान वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता का अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3) धनराशि आहरण एवं व्यय के दौरान यथा आवश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

4) धनराशि का आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दी गयी व्यवस्था एवं अन्य उत्तरवर्ती संगत शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-003-प्रशिक्षण-05-सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान, 20- सहायक अनुदान समान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग के आदेश संख्या - दिनांक द्वारा प्रदत्त सहमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या -7/2022/I/181960(1/49-3-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
5) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
9) निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ ।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in